परिशिष्ट

परिशिष्ट-1.1

(संदर्भ: प्रस्तर-1.1 व 1.1.1; पृष्ठ 1 व 2)

राज्य की रूपरेखा

क्र. सं.	विवरण		आँकड़े
1.	**क्षेत्रफल**		53,483 वर्ग किमी
	क. पर्वतीय		46,035 वर्ग किमी
	ख. मैदान		7,448 वर्ग किमी
	ग. वनीय		38,117 वर्ग किमी
2.	जनपद (10 पर्वतीय क्षेत्र तथा 3 मैदानी क्षेत्र)		13 जनपद
3.	**जनसंख्या***		
	क.	2001 की जनगणना के अनुसार	84.89 लाख
	ख.	2011 की जनगणना के अनुसार	100.86 लाख
4.	क.	जनसंख्या घनत्व (2001 की जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय घनत्व =324 व्यक्ति प्रतिवर्ग किमी)	159 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी
	ख.	जनसंख्या घनत्व (2011 की जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय घनत्व=382 व्यक्ति प्रतिवर्ग किमी)	189 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी
5.	गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या (बी पी एल) 2011-12 (अखिल भारतीय औसत=21.92 *प्रतिशत*)		*11.26 प्रतिशत*
6.	क.	साक्षरता (2001 की जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय औसत=64.80 *प्रतिशत*)	*71.62 प्रतिशत*
	ख.	साक्षरता (2011 की जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय औसत=73.00 *प्रतिशत*)	*78.80 प्रतिशत*
7.	शिशु मृत्यु दर (प्रति 1,000 जीवित जन्म) (अखिल भारतीय औसत=28 प्रति 1,000 जीवित जन्म)		24
8.	जन्म के समय जीवन प्रत्याशा (अखिल भारतीय औसत=70.00)		70.60
9.	एच डी आई मूल्य उत्तराखण्ड (एच डी आर 2022) (अखिल भारतीय औसत=0.644)		0.681
10.	सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स रा घ उ) 2023-24 वर्तमान दरों पर *(₹ करोड़ में)*		3,46,206
11.	प्रति व्यक्ति स रा घ उ सी ए जी आर (2014-24) प्रचलित दरों पर	उत्तराखण्ड	*7.61*
	प्रति व्यक्ति स घ उ सी ए जी आर (2014-24) वर्तमान दरों पर	अखिल भारतीय	*8.89*

क्र. सं.	विवरण		आँकड़े
12.	स रा घ उ सी ए जी आर (2014-24) वर्तमान दरों पर	उत्तराखण्ड	*8.85*
	स घ उ सी ए जी आर (2014-24) वर्तमान दरों पर	अखिल भारतीय	*10.06*
13.	जनसंख्या वृद्धि (2014 से 2024)	उत्तराखण्ड	*12.09*
		अखिल भारतीय	*11.26*

** स्रोतः आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, उत्तराखंड की सांख्यिकी डायरी।*

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग द्वारा भारत और राज्यों के लिए जनसंख्या अनुमान।

साक्षरता दर: जनगणना 2011

आई एम आर: एस आर एस बुलेटिन (2020)

जीवन प्रत्याशा: एस आर एस आधारित संक्षिप्त जीवन सारणी (2016-20)

एच डी आई: यू एन डी पी मानव विकास रिपोर्ट 2023/2024

स रा घ उ: एन एस ओ, (सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय)।

जनसंख्या वृद्धि: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत और राज्यों के लिए जनसंख्या अनुमान (2011-2016) प्रति व्यक्ति स घ उ सी ए जी आर और स रा घ उ सी ए जी आर: एन एस ओ (एम ओ एस पी आई)

परिशिष्ट-1.2

(संदर्भ: प्रस्तर-1.3.2, पृष्ठ 11)

31 मार्च 2024 तक उत्तराखण्ड सरकार की सारांशित वित्तीय स्थिति

(₹ करोड़ में)

देयताएं	31.03.2023 तक	31.03.2024 तक
आंतरिक ऋण	**53,558.43**	**57,378.79**
ब्याज युक्त बाजार ऋण	44,910.00	48,710.00
बाजार ऋण जिन पर ब्याज नहीं है	0.02	0.02
भारतीय जीवन बीमा निगम से ऋण	1.50	1.50
अन्य संस्थानों से ऋण	8,646.91	8,060.21
भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम और ओवरड्राफ्ट	--	607.06
भारत सरकार से ऋण और अग्रिम	**8,600.36**	**10,581.95**
गैर योजना ऋण	1.80	1.37
राज्य योजना योजनाओं के लिए ऋण	377.36	326.00
1984-85 से पहले के ऋण	0.53	0.53
राज्य के लिए अन्य ऋण	8,220.67	10,254.05
आकस्मिकता निधि (कोष)	**500.00**	**500.00**
अल्प बचत, भविष्य निधि आदि	**9,453.58**	**9,671.23**
जमा	**3,880.66**	**4,463.33**
आरक्षित निधियाँ	**4,824.64**	**5,738.12**
उचंत और विविध अवशेष	**--**	**--**
प्रेषण शेष राशि	**--**	**--**
व्यय पर प्राप्तियों का संचयी अधिक्य	**3,890.97**	**7,232.04**
योग	***84,708.64***	***95,565.46***
परिसंपत्ति		
स्थिर परिसंपत्तियों पर सकल पूंजी परिव्यय -	**80,053.48**	**91,035.28**
कम्पनियों, निगमों आदि के शेयरों में निवेश	4,043.90	4,527.50
अन्य पूँजीगत व्यय	76,009.58	86,507.78
आकस्मिकता निधि (गैर-प्रतिपूर्ति)	**178.50**	**308.81**
ऋण और अग्रिम -	**2,454.61**	**2,562.89**
विद्युत परियोजनाओं के लिए ऋण	484.58	582.55
अन्य विकास ऋण	1,986.69	1,996.52
सरकारी कर्मचारियों को ऋण और विविध ऋण	(-)16.66	(-) 16.18
विभागीय अधिकारियों के साथ अग्रिम	**0.42**	**0.42**
प्रेषण शेष राशि	**(-)88.23**	**(-)85.74**
नकद	**2,318.65**	**1,804.76**
कोषागारों और स्थानीय प्रेषणों में नकद	--	
विभागीय नकद शेष	(-)10.71	(-)10.71
स्थायी अग्रिम/नकद अग्रदाय	(-)0.81	(-)0.81
नकद शेष निवेश	653.37	--

देयताएं	31.03.2023 तक	31.03.2024 तक
भारतीय रिजर्व बैंक में जमा	(-)131.82	(-)102.34
चिह्नित कोषों से निवेश	1,808.62	1,918.62
उचंत और विविध अवशेष	**(-)208.79**	**(-)60.95**
प्राप्तियों पर खर्च का संचयी अधिक्य	**--**	**(-)0.01**
योग	***84,708.64***	***95,565.46***

परिशिष्ट-2.1

(संदर्भ: प्रस्तर-2.3.3 एवं 2.6; पृष्ठ 31 एवं 45)

राज्य सरकार के वित्त पर समय शृंखला आंकड़े

(₹ करोड़ में)

	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
भाग क. प्राप्तियाँ					
1. राजस्व प्राप्तियाँ	**30,723**	**38,205**	**43,057**	**49,083**	**50,615**
(i) कर राजस्व	**11,513** ***(37)***	**11,938** ***(31)***	**14,176** ***(33)***	**17,102*(35)***	**19,245*(38)***
एस जी एस टी	4,931 ***(43)***	5,053 *(42)*	5,973 *(42)*	7,341*(43)*	8,297*(43)*
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	1,811 *(16)*	1,858 *(16)*	2,302 *(16)*	2,555*(15)*	2,519*(13)*
राज्य आबकारी	2,727 *(24)*	2,966 *(25)*	3,258 *(23)*	3,526*(21)*	4,041*(21)*
वाहनों पर कर	908 *(8)*	741 *(6)*	889 *(6)*	1,211*(7)*	1,390*(7)*
स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क	1,072 *(9)*	1,107 *(9)*	1,488 *(10)*	1,987*(12)*	2,432*(13)*
भू-राजस्व	24 *(--)*	17 *(0)*	40 *(0)*	65*(0)*	14*(0)*
माल एवं यात्रियों पर कर	--	00 *(0)*	00 *(0)*	00*(0)*	00*(0)*
अन्य	40 *(--)*	196 *(2)*	226 *(2)*	417*(2)*	552*(3)*
(ii) करेत्तर राजस्व	**3,999** ***(13)***	**4,171 (*11)***	**2,756** ***(6)***	**4,367*(9)***	**4,418*(9)***
(iii) केन्द्रीय करों और शुल्कों का राज्यांश	**6,902** ***(22)***	**6,569** ***(17)***	**9,906** ***(23)***	**10,617*(22)***	**12,628*(25)***
(iv) भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान	**8,309** ***(27)***	**15,527** ***(41)***	**16,219 (38)**	**16,997*(35)***	**14,324*(28)***
2. विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	--	0.20	--	11.83	--
3. ऋण एवं अग्रिमों की वसूलियाँ	19	23	17	17	16
4. कुल राजस्व एवं ऋणेत्तर पूँजीगत प्राप्तियाँ (1+2+3)	30,742	38,228	43,074	49,112	50,631
5. लोक ऋण प्राप्तियाँ	6,148	9,787	7,473	5,036	9,912
आन्तरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट को छोड़कर)	5,765 *(94)*	6,728 *(69)*	3,787 *(51)*	3,817*(76)*	7,255*(73)*
अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट के अन्तर्गत निवल लेन-देन	313 (*05)*	--	--	--	607*(6)*
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	70 *(01)*	3,059 *(31)*	3,686 *(49)*	1,219*(24)*	2,050*(21)*
6. समेकित निधि में कुल प्राप्तियाँ (4+5)	36,890	48,015	50,547	54,148	60,543
7. आकस्मिकता निधि प्राप्तियाँ	94	02	436	269	179
8. लोक लेखा प्राप्तियाँ	45,330	47,563	52,779	59,433	66,009
9. राज्य की कुल प्राप्तियाँ (6+7+8)	***82,314***	***95,580***	***1,03,762***	***1,13,850***	***1,26,731***
भाग ख. व्यय/संवितरण[†]					
10. राजस्व व्यय	32,859	37,091	38,929	43,773	47,274

[†] वित्त पोषण का आयोजनागत और आयोजनेत्तर विभाजन, वर्ष 2017-18 से बंद कर दिया गया है और राज्य निधि व्यय और केंद्रीय सहायता में द्विविभाजित किया जा रहा है।

	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
राज्य निधि व्यय	28,893*(88)*	32,678*(88)*	35,870*(92)*	39,452 *(90)*	41,691*(88)*
केन्द्रीय सहायता	3,966 *(12)*	4,413 *(12)*	3,059*(8)*	4,321*(10)*	5,583*(12)*
सामान्य सेवाएँ (ब्याज भुगतानों सहित)	13,844 *(42)*	14,826 *(40)*	15,668 *(40)*	16,889*(39)*	17,579*(37)*
सामाजिक सेवाएँ	12,593 *(39)*	14,762 *(40)*	15,573 *(40)*	18,156*(41)*	19,653*(42)*
आर्थिक सेवाएँ	4,704 *(14)*	5,571 *(15)*	6,148 *(16)*	6,687*(15)*	7,485*(16)*
सहायता अनुदान एवं अंशदान	1,717 *(5)*	1,932 *(5)*	1,540 *(4)*	2,041*(5)*	2,557*(5)*
11. पूँजीगत व्यय	5,414	6,538	7,534	8,194	10,982
राज्य निधि व्यय	3,055(*56)*	3,192*(49)*	*4,335(58)*	4,398*(54)*	*6,267(57)*
केन्द्रीय सहायता	2,359*(44)*	3,346*(51)*	3,199*(42)*	3,797*(46)*	4,715*(43)*
सामान्य सेवाएँ	362*(7)*	755*(11)*	1,085*(14)*	1,608*(20)*	2,360*(21)*
सामाजिक सेवाएँ	1,610*(30)*	1,938*(30)*	2,262*(30)*	2,013*(24)*	3,496*(32)*
आर्थिक सेवाएँ	3,442*(63)*	3,845*(59)*	4,187*(56)*	4,573*(56)*	5,126*(47)*
12. ऋण एवं अग्रिमों का संवितरण	126	38	347	94	124
13. राज्य का कुल व्यय (10+11+12)	38,399	43,667	46,810	52,061	58,380
14. लोक ऋण का पुनर्भुगतान	2,131	2,921	3,386	4,079	4,110
आन्तरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट को छोड़कर)	2,084	2,550	3,330	4,017	4,042
अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट के अन्तर्गत निवल लेन-देन	--	313	--	--	--
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	47	58	56	62	68
15. आकस्मिकता निधि का विनियोजन	0	0	0	0	0
16. समेकित निधि से कुल संवितरण (13+14+15)	40,530	46,588	50,196	56,140	62,490
17. आकस्मिकता निधि संवितरण	26	226	212	179	309
18. लोक लेखा संवितरण	42,569	47,261	53,304	59,159	64,556
19. राज्य द्वारा कुल संवितरण (16+17+18)	***83,125***	***94,075***	***1,03,712***	***1,15,478***	***1,27,355***
भाग ग. घाटा/आधिक्य					
20. राजस्व घाटा (-)/राजस्व आधिक्य (+) (1-10)	(-) 2,136	(+) 1,114	(+) 4,128	(+) 5,310	(+) 3,341
21. राजकोषीय घाटा (4-13)	7,657	5,439	3,736	2,949	7,749
22. प्राथमिक घाटा (-)/ प्राथमिक आधिक्य (+) (21+23)	(-) 3,153	(-) 666	1,203	2,155	(-)2,557
भाग घ. अन्य आँकड़े					
23. ब्याज भुगतान (राजस्व व्यय में सम्मिलित)	4,504	4,773	4,939	5,104	5,192

	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
24. स्थानीय निकायों आदि को वित्तीय सहायता	4,800	6,441	5,858	7,631	7,001
25. अर्थोपाय अग्रिम/ओवरड्राफ्ट का उपभोग (दिवस)	140	96	6	39	137
26. अर्थोपाय अग्रिम/ओवरड्राफ्ट पर ब्याज	5.18	5.21	0.06	2.23	14.26
27. सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स रा घ उ)[@]	2,39,263	2,25,617	2,67,143	3,03,781	3,46,206
28. बकाया राजकोषीय दायित्व (वर्ष के अन्त में)[*]	65,982	71,435	71,375	72,860	80,266
29. बकाया प्रतिभूतियाँ (वर्ष के अन्त में) (ब्याज रहित)	854	729	374	117	119
30. प्रतिभूत अधिकतम धनराशि (वर्ष के अन्त में)	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	717	407	409
31. अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या (संख्या में)	210	143	75	143	154
32. अपूर्ण परियोजनाओं में अवरुद्ध पूँजी *(₹ करोड़ में)*	627.08	437.61	357.00	564.00	641.53
भाग च. राजकोषीय सुदृढ़ता-सूचक (अनुपात में)					
I संसाधन का जुटाव					
स्वयं का कर राजस्व/ स रा घ उ	0.048	0.053	0.053	0.056	0.056
स्वयं का करेत्तर राजस्व/ स रा घ उ	0.017	0.018	0.010	0.014	0.013
केन्द्रीय अन्तरण/स रा घ उ	0.064	0.098	0.098	0.091	0.078
II व्यय प्रबन्धन					
कुल व्यय/स रा घ उ	0.160	0.194	0.175	0.171	0.169
कुल व्यय/राजस्व प्राप्तियाँ	1.25	1.14	1.09	1.06	1.15
राजस्व व्यय/ कुल व्यय	0.86	0.85	0.83	0.84	0.81
सामाजिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय	0.37	0.38	0.38	0.39	0.40
आर्थिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय	0.22	0.22	0.23	0.22	0.22
पूँजीगत व्यय/कुल व्यय	0.14	0.15	0.16	0.16	0.19
सामाजिक और आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय/कुल व्यय	0.13	0.13	0.14	0.13	0.15
III राजकोषीय असंतुलन का प्रबंधन					
राजस्व घाटा (आधिक्य)/ स रा घ उ	(-) 0.009	0.005	0.015	0.017	0.010

* नोट: जी एस टी मुआवजे की कमी के बदले भारत सरकार से प्राप्त ₹ 5,649 करोड़ {₹ 2,316 करोड़ (2020-21) + ₹ 3,333 करोड़ (2021-22)} की राशि के बैक-टू-बैक ऋण शामिल नहीं हैं।

	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
राजकोषीय घाटा /स रा घ उ	0.032	0.024	0.014	0.010	0.022
प्राथमिक घाटा (आधिक्य)/ स रा घ उ	(-) 0.013	(-) 0.003	0.005	0.007	(-) 0.007
राजस्व आधिक्य (घाटा)/राजकोषीय घाटा	0.279	(-) 0.205	(-) 1.105	(-) 1.800	(-) 0.431
निवल प्राथमिक राजस्व शेष/ स रा घ उ	0.010	0.026	0.034	0.034	0.025
IV राजकोषीय दायित्वों का प्रबंधन					
राजकोषीय दायित्व/स रा घ उ	0.28	0.32	0.27	0.24	0.23
राजकोषीय दायित्व/राजस्व प्राप्ति	2.15	1.87	1.66	1.48	1.59
ऋण पुनर्भुगतान से ऋण प्राप्तियाँ (*प्रतिशत* में)	34.66	29.85	45.31	81.00	41.46
V अन्य राजकोषीय सुदृढ़ता सूचक					
निवेश का प्रतिफल	14.08	40.02	35.05	25.07	25.20
वित्तीय परिसम्पत्तियाँ/दायित्व	0.90	0.93	0.98	1.05	1.08

कोष्ठकों के आँकड़े प्रत्येक उपशीर्षों के योग से प्रतिशतता (पूर्णांक) को प्रस्तुत करते हैं।

@ आर्थिक विभाग, नि एवं म ले प के रा वि ले प्र संकलन से वर्तमान कीमतों पर स रा घ उ के आँकड़े प्राप्त किये गये हैं।

परिशिष्ट-3.1

(संदर्भ: प्रस्तर-3.1; पृष्ठ 95)

बजट से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दों की शब्दावली

क्र.सं.	शब्द	व्याख्या
1.	एक वर्ष का 'लेखा' या 'वास्तविक'	1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए प्राप्तियों और संवितरणों की मात्रा, अंत में लेखा प्राधिकरण की पुस्तकों में दर्ज की गई (जैसाकि नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षित है)। अंनतिम लेखों से तात्पर्य अलेखापरीक्षित लेखों से है।
2.	किसी योजना, प्रस्ताव या कार्य की 'प्रशासनिक स्वीकृति'	व्यय के प्रयोजन के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा औपचारिक स्वीकृति। बजट में निधि के प्रावधान के साथ, यह उस विशेष वर्ष के दौरान कार्य के लिए वित्तीय स्वीकृति के रूप में कार्य करता है जिसमें प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जाती है।
3.	वार्षिक वित्तीय विवरण	बजट के रूप में संदर्भित जिसका अर्थ है संसद/राज्य विधानमंडल के समक्ष रखी गई प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए केंद्र/राज्य सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण।
4.	विनियोजन	संसद/राज्य विधानमंडल द्वारा प्राधिकृत राशि के अलग-अलग प्राथमिक इकाई के तहत व्यय के लिए प्राधिकृत राशियाँ उसमें से एक हिस्सा, जो संवितरण अधिकारी के निपटान में रखा जाता है।
5.	भारित व्यय	ऐसा व्यय जिसे संविधान के प्रावधानों के तहत विधानमंडल के वोट के लिए प्रस्तुत नहीं किया जाना है।
6.	भारत/राज्य की समेकित निधि	संघ/राज्य सरकार के सभी राजस्व, इसके द्वारा जुटाए गए ऋण और ऋणों के पुनर्भुगतान में प्राप्त सभी धन भारत और राज्य के समेकित निधि का निर्माण करते हैं। इस निधि से निकले किसी भी धन को कानून के अनुसार और संविधान में प्रदान किए गए तरीके के अलावा विनियोजित नहीं किया जा सकता है।
7.	आकस्मिकता निधि	यह एक अग्रदाय की प्रकृति का है। आकस्मिकता निधि का उद्देश्य संसद/राज्य विधानमंडल द्वारा अपने प्राधिकरण को लंबित, एक वर्ष के दौरान होने वाले अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए कार्यकारी/सरकार को अग्रिम प्रदान करना है। संसद/राज्य विधानमंडल द्वारा अनुपूरक मांगों के माध्यम से अनुमोदित करने के बाद, आकस्मिकता निधि से निकाली गई राशि को वापस ले लिया जाता है।
8.	नियंत्रक अधिकारी (बजट)	एक अधिकारी जिसे विभाग द्वारा व्यय और/या राजस्व के संग्रह को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी सौंपी गयी है। इस शब्दावली में विभागाध्यक्ष और प्रशासक भी शामिल हैं।
9.	आहरण एवं संवितरण अधिकारी	राज्य सरकार की ओर से देयको के आहरण एवं भुगतान करने हेतु कार्यालय प्रमुख और अन्य अधिकारी भी जो कि राज्य सरकार के वित्त विभाग द्वारा नामित किया गया है। इस शब्द में एक विभागाध्यक्ष भी शामिल हो सकता है जहाँ वह स्वयं ऐसे कार्य का निर्वहन करता है।
10.	अतिरिक्त अनुदान	अतिरिक्त अनुदान का अर्थ है, मूल/पूरक अनुदान के माध्यम से अनुमति दिए गए प्रावधान के ऊपर और उसके बाद व्यय की मात्रा, जिसे संविधान के अनुच्छेद 115/205 के तहत संसद/राज्य विधानमंडल से अतिरिक्त अनुदान प्राप्त करके नियमितीकरण की आवश्यकता होती है।
11.	लोक लेखे	संविधान के अनुच्छेद 266 (2) में उल्लिखित लोक लेखा से अर्थ है। जमा और संवितरण जैसे जमा, आरक्षित निधि, प्रेषण, आदि जो समेकित निधि

क्र.सं.	शब्द	व्याख्या
		का हिस्सा नहीं बनती हैं, लोक लेखे में शामिल की जाती हैं। लोक लेखे से संवितरण संसद/ राज्य विधानमंडल द्वारा मतदान के अधीन नहीं हैं, क्योंकि वे भारत/राज्य के समेकित निधि से जारी किए गए धन नहीं हैं।
12.	पुनर्विनियोजन	एक ही अनुदान या भारित विनियोग के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी द्वारा विनियोग की एक ईकाई में हुई बचत को दूसरी ईकाई के अन्तर्गत अतिरिक्त व्यय हेतु हस्तान्तरित करना।
13.	पुनरीक्षित अनुमान	एक वित्तीय वर्ष के लिए संभावित प्राप्तियों या व्यय का एक अनुमान, जो उस वर्ष के लिए तैयार किया गया है, जिसमें शेष वर्ष के लिए प्रत्याशित पहले से दर्ज किए गए लेन-देन और पहले से ही जारी किए गए आदेश।
14.	अनुदान के लिए अनुपूरक माँग	अर्थात विधायिका के समक्ष रखी गई अनुपूरक माँगों के विवरण जोकि, उस वर्ष के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण में प्राधिकृत व्यय से अधिक और एक वित्तीय वर्ष के संबंध में आवश्यक व्यय की अनुमानित राशि दिखाता है। अनुपूरक की माँग टोकन, तकनीकी या मूल/नकदी हो सकती है।
15.	मुख्य शीर्ष	इसका अर्थ राज्य की प्राप्तियों और संवितरणों को रिकॉर्ड करने और वर्गीकृत करने के उद्देश्य के लिए एक मुख्य शीर्ष है। एक मुख्य शीर्ष, विशेष रूप से समेकित निधि के भीतर आने वाला, आमतौर पर कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि जैसे सरकार के एक 'कार्य' से मेल रखता है।
16.	उप-मुख्य शीर्ष	इसका अर्थ एक मुख्य शीर्ष और उसके अधीन लघु शीर्षों के बीच शुरू किए गए लेखों का एक मध्यवर्ती शीर्ष है, जब की लघु शीर्ष कई है और ऐसे मध्यवर्ती शीर्ष के तहत आसानी से एक साथ समूहीकृत किये जा सकते है।
17.	लघु शीर्ष	लघु शीर्ष से तात्पर्य एक मुख्य शीर्ष या उप-मुख्य शीर्ष के अधीनस्थ शीर्ष से है। मुख्य शीर्ष के अधीनस्थ एक लघु शीर्ष मुख्य शीर्ष द्वारा दर्शाए गए कार्य के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किए गए एक "प्रोग्राम" को दर्शाता है।
18.	उप-शीर्ष	मतलब लघु शीर्ष के अधीनस्थ लेखा की एक इकाई, जो सामान्य रूप से उस लघु शीर्ष या प्रोग्राम के तहत स्कीम या संगठन को दर्शाता है।
19.	वृहद निर्माण	वृहद निर्माण से तात्पर्य उस मूल निर्माण से है, जिसकी अनुमानित लागत विभागीय शुल्कों को छोड़कर समय-समय पर सरकार द्वारा अधिसूचित राशि से अधिक है।
20.	लघु निर्माण	लघु निर्माण से तात्पर्य उस मूल निर्माण से है, जिसकी अनुमानित लागत विभागीय शुल्कों को छोड़कर समय-समय पर सरकार द्वारा अधिसूचित राशि से अधिक नहीं होती है।
21.	संशोधित अनुदान या विनियोजन	इसका मतलब विनियोग के किसी भी उप-शीर्ष को आवंटित धनराशि से है क्योंकि यह सक्षम प्राधिकारी द्वारा पुन:विनियोग या एक अतिरिक्त या पूरक अनुदान की मंजूरी के बाद आता है।
22.	अनुपूरक एवं अतिरिक्त अनुदान या विनियोजन	इसका अर्थ है कि उस वर्ष के लिए पहले विनियोग अधिनियम में शामिल राशि से अधिक व्यय को पूरा करने के लिए एक वित्तीय वर्ष के दौरान विनियोग अधिनियम में शामिल एक प्रावधान।
23.	नए व्यय के लिए अनुसूची	का अर्थ है आगामी वर्ष के लिए बजट में शामिल किए जाने के लिए प्रस्तावित नए व्यय की वस्तुओं का विवरण।

परिशिष्ट-4.1
शब्दावली

क्र. सं.	शब्द	व्याख्या
1.	राज्य के क्रियान्वयन अभिकरण	राज्य के कार्यान्वयन अभिकरण में गैर-सरकारी संगठन सहित कोई भी संगठन/संस्था जो राज्य में विशिष्ट कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु भारत सरकार से निधियों को प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत हैं जैसे सर्व शिक्षा अभियान हेतु राज्य कार्यान्वयन समिति तथा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन हेतु राज्य स्वास्थ्य मिशन आदि।
2.	सकल राज्य घरेलू उत्पाद	सकल राज्य घरेलू उत्पाद को राज्य की कुल आय या चालू कीमतों पर श्रम और उत्पादन के सभी अन्य कारकों को प्रयुक्त करते हुए उत्पादित माल या सेवाओं के बाजार मूल्य के रूप में परिभाषित किया गया है।
3.	उत्प्लावकता अनुपात	उत्प्लावकता अनुपात आधारभूत चर में किए गए परिवर्तन के संदर्भ में राजकोषीय चर की तन्यता अथवा प्रभावशीलता के स्तर को इंगित करता है। उदाहरणार्थ 0.6 की राजस्व उत्प्लावकता अन्तर्निहित करती है कि यदि स रा घ उ में एक *प्रतिशत* तक की वृद्धि होती है, तो राजस्व प्राप्तियाँ 0.6 प्रतिशतता बिन्दु तक वृद्धिगत होने का प्रयास करती हैं।
4.	आन्तरिक ऋण	इसमें मुख्यतः बाजार ऋण और राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय लघु बचत निधि (रा ल ब) को जारी की गई विशेष प्रतिभूतियाँ शामिल हैं।
5.	कोर पब्लिक एवं मेरिट गुड्स	कोर पब्लिक गुड्स ऐसी वस्तुएँ है जिनका इस आशय से सभी नागरिक लाभ लेते हैं कि ऐसी वस्तु का किसी व्यक्ति के उपभोग से उसी वस्तु को दूसरे व्यक्ति के उपभोग में कोई कमी नहीं आती है, उदाहरणार्थ कानून एवं व्यवस्था को लागू किया जाना, हमारे अधिकारों की सुरक्षा एवं बचाव, प्रदूषण-मुक्त वायु एवं अन्य पर्यावरणीय वस्तुएँ तथा सड़कें इत्यादि। मेरिट गुड्स ऐसी वस्तुएँ हैं जिनको सार्वजनिक क्षेत्र मुफ्त अथवा उपदानित दरों पर उपलब्ध कराता है क्योंकि एक व्यक्ति अथवा समाज को उन्हें सरकार को भुगतान करने की क्षमता और इच्छा के बजाय आवश्यकता की किसी धारणा के आधार पर प्राप्त करना चाहिए और इसलिए वह उनके उपभोग को प्रोत्साहित करने की इच्छा रखता है। ऐसी वस्तुओं के उदाहरणों में गरीबों को पोषण में सहायक मुफ्त अथवा उपदानित दरों पर खाद्य सामग्री का प्रावधान, जीवन स्तर में सुधार करने एवं रूग्णता को कम करने के लिए स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करना, सर्वजन को आधारभूत शिक्षा, पेयजल तथा स्वच्छता आदि प्रदान करना सम्मिलित है।
6.	विकासपरक व्यय	व्यय के आँकड़ों का विश्लेषण, विकासपरक और अविकासपरक व्यय में वर्गीकृत किया जाता है। राजस्व लेखे, पूँजीगत परिव्यय तथा ऋण एवं अग्रिमों से सम्बन्धित सभी व्यय को सामाजिक सेवाओं, आर्थिक सेवाओं और सामान्य सेवाओं में श्रेणीबद्ध किया जाता है। मोटे तौर पर, सामाजिक एवं आर्थिक सेवाएँ विकासपरक व्यय को संस्थापित करती है जबकि सामान्य सेवाओं पर हुए व्यय को गैर विकासपरक व्यय के रूप में माना जाता है।

क्र. सं.	शब्द	व्याख्या
7.	ऋण वहन क्षमता	ऋण वहन क्षमता को किसी समयावधि के सतत ऋण-जी डी पी अनुपात को बनाए रखने के राज्य के सामर्थ्य के रूप में परिभाषित किया गया है और इसे ऋण के शोधन की क्षमता के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। इसलिए ऋण वहन क्षमता चालू या वचनबद्ध दायित्वों को पूरा करने के लिए तरल चालू परिसम्पत्तियों की पर्याप्तता और ऐसे ऋणों के प्रतिफल के साथ अतिरिक्त ऋणों की लागत के संतुलन को बनाए रखने की क्षमता को भी संदर्भित करता है। इसका अर्थ है कि राजकोषीय घाटे की वृद्धि का ऋण चुकाने की क्षमता की वृद्धि के साथ मिलान होना चाहिए।
8.	ऋण स्थिरीकरण	स्थायित्व के लिए एक आवश्यक शर्त यह बताती है कि यदि अर्थव्यवस्था वृद्धि की दर लोक ऋणों की लागत या ब्याज दर से अधिक होती है तो ऋण-जी डी पी अनुपात भी स्थिर रहना चाहिए बशर्ते कि प्रारंभिक अवशेष या तो शून्य है या धनात्मक या लगभग नकारात्मक है। दर विस्तार (सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि दर-ब्याज दर) और मात्रा विस्तार (ऋण दर विस्तार) ऋण वहन क्षमता की शर्तें बताती है कि यदि मात्रा विस्तार के साथ-साथ प्राथमिक घाटा शून्य है तो ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात स्थिर रहेगा या ऋण अन्ततः स्थिर होगा। दूसरी तरफ यदि प्राथमिक घाटे के साथ-साथ मात्रा विस्तार ऋणात्मक हो जाता है तो ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात उच्च हो जाएगा और धनात्मक होने की दशा में ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात गिरेगा।
9.	ऋणेत्तर प्राप्तियों की पर्याप्तता संसाधन) (अन्तराल	बढ़ते हुए ब्याज दायित्वों और बढ़ते हुए प्राथमिक व्यय को आच्छादित करने के लिए राज्य की बढ़ती हुई ऋणेत्तर प्राप्तियों की पर्याप्तता। ऋण वहन क्षमता को महत्वपूर्ण रूप से सुविधाजनक बनाया जा सकता है, यदि बढ़ती हुई ऋणेत्तर प्राप्तियाँ बढ़ते हुए ब्याज भार और बढ़ते हुए प्राथमिक व्यय को पूरा कर सकते।
10.	उधार ली गई निधियों की निवल उपलब्धता	कुल ऋण प्राप्तियों से ऋण विमोचन (मूलधन + ब्याज भुगतान) के रूप में परिभाषित अनुपात है तथा यह सीमा इंगित करता है कि जहाँ तक ऋण प्राप्तियों का उपयोग ऋण विमोचन के लिए किया गया। ऋण निधियों की निवल उपलब्धता को दर्शाते हुए।
11.	ऋणेत्तर प्राप्तियाँ	बढ़ते हुए ब्याज दायित्वों व बढ़ते हुए प्राथमिक व्यय को आवृत करने हेतु राज्य की बढ़ती हुई ऋणेत्तर प्राप्तियों की पर्याप्तता। यदि बढ़ती हुई ऋणेत्तर प्राप्तियाँ बढ़ते हुए ब्याज भार व बढ़ते हुए प्राथमिक व्यय को पूरा कर सकें तो ऋण वहन क्षमता महत्वपूर्ण रूप से सुगम हो सकेगी।
12.	निवल ऋण की उपलब्धता	लोक ऋण पुनर्भुगतान, ऋण एवं अग्रिम का संवितरण तथा लोक ऋण पर ब्याज अदायगी के सापेक्ष लोक ऋण प्राप्तियां तथा ऋण एवं अग्रिम प्राप्तियों का आधिक्य।